फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 78/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/87) **श्री कालुलाल मुतबन्ना लखमा खटीक बनाम डालचन्द व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलार्थी 2. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-3 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-5 **अनवान** 1. श्री कालुलाल मुतबन्ना लखमा खटीक, निवासी बागुण्ड, तहसील भदेसर हाल जिला चित्तौड़गढ़ **अपीलार्थी** 1. श्री डालचन्द पिता श्री रामचन्द्र मेघवाल, घनेत टोकरिया, तहसील भदेसर, चित्तौड़गढ़। 2. श्री पीरूलाल पिता श्री उंकार मेघवाल, भैरूखेडा, तहसील भदेसर, चित्तौड़गढ़। 3. श्री मदनलाल पिता श्री मोती खटीक, बागुण्ड, तहसील भदेसर, चित्तौड़गढ़। 4. श्री कालुलाल पिता श्री धनराज, केरिंगखेडा, तहसील भदेसर, चित्तौड़गढ़। 5. सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, बप्रकरण संख्या 150/2018 निर्णय दिनांक 13.12.2018 (अनवान श्री डालचन्द व अन्य बनाम श्री मदनलाल व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 20.01.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा **न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, बप्रकरण संख्या 150/2018 निर्णय दिनांक 13.12.2018 (अनवान श्री डालचन्द व अन्य बनाम श्री मदनलाल व अन्य)** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवेदन कर कथन किया कि उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात बागुण्ड की जमाबंदी खतौनी संख्या 38 पुराना 35 में अंकित आराजी नंबर 595/1, 595/1मीन कुल किता 2 रकबा 0.54 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि के कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से पडौसी विपक्षीगण मदनलाल व कालुलाल (वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-3 व 4) उसकी आराजीयात में प्रवेश कर अनाधिकृत कब्जा करना चाहते है और विवाद की स्थिति रहती है। अतः उक्त भूमि की मौके पर नपती कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावें। • उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के पत्थरगढ़ी का आदेश दिनांक 13.12.2018 को पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 13.12.2018 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील दिनांक 09.01.2019 को मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 78/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/87) **श्री कालुलाल मुतबन्ना लखमा खटीक बनाम डालचन्द व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत किया।

दिनांक 19.01.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी व प्रत्यर्थी-3 व 5 उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना के अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि उक्त आराजीयात पर अपीलार्थी विरासती अधिकारों से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उपरोक्त वर्णित आराजीयात को प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा गलत रूप से अपीलार्थी की माता एजीबाई से विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीकृत करा लिया, जिसे निरस्त कराने बाबत अपीलार्थी व उसकी माता की ओर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-1, निम्बाहेडा में विक्रय पत्र निरस्ती का वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2018 को उभय पक्ष को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखे जाने हेतु पाबंद किया जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी-1 व 2 को होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वास्तविक तथ्यों से छिपाते हुए पत्थरगढ़ी का आवेदन कर अपीलाधीन आदेश प्राप्त करा लिया गया। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। उक्त आदेश से अपीलार्थी के हित प्रभावित होते है जिससे अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के पेश की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

प्रत्यर्थी-3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त बहस के खण्डन में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है। उक्त निर्णय में विवादित आराजीयात की नक्शा बंदोबस्ती अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी किये पक्षकारान की मौजुदगी में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये है, जिसमें किसी के हित प्रभावित नहीं होते है। कोई भी खातेदार अपनी भूमि की नपती एवं पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी-5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया और अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पत्थरगढ़ी आवेदन की कार्यवाही उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसे में प्रथम दृष्टया उसके हित व अधिकार प्रभावित होना पाया गया, ऐसे में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है व प्रस्तुत दस्तावेज हस्तगत प्रकरण से पुरी तरह सम्बन्धित है, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अभिलेखों के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा जारी दस्तावेज व उनकी की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन प्रकट होता है कि विवादित आराजीयात के संबंध में अपीलार्थी एवं श्रीमती एजीबाई द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश समक्ष, संख्या 1, निम्बाहेडा समक्ष आवेदन

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 78/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/87) **श्री कालुलाल मुतबन्ना लखमा खटीक बनाम डालचन्द व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 71/2017 होकर माननीय न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 18.05.2018 को पारित निर्णय से उभय पक्षों को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा एक दावा वास्ते घोषणा, निरस्त करने विक्रय पत्र व स्थाई निषेधाज्ञा का भी प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 15/2017 हुए जो विचाराधीन होने का कथन प्रस्तुत किया गया। स्पष्ट है कि उक्त यथास्थिति के आदेश होने उपरान्त भी प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पत्थरगढ़ी का आवेदन प्रस्तुत किया और जानबुझकर अपीलार्थी को भी पक्षकार संयोजित नहीं किया। प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उक्त दावें एवं यथास्थिति के आदेश की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की, जिससे अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वास्तविक तथ्य प्रकट नहीं हुए, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित पक्षकार को बिना सुने एक अविधिक आदेश पारित हो गया। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, भदेसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2018 अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी, भदेसर को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालयों में लम्बित वाद एवं यथास्थिति आदेश की वर्तमान अद्यतन स्थिति के परिपेक्ष्य में विधिक स्थिति का परिक्षण कर, सभी पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (अंजलि राजोरिया) I.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	